उत्तर प्रदेश शासन

वन एवं वन्यजीव अनुभाग-5

संख्या-**6/2017/**2270/14-5-2017-07/93

लखनऊ दिनांक 31 अक्टूबर, 2017

पुनरीक्षित अधिसूचना

उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1 सन् 1904) की धारा-21 के साथ पठित उत्तर प्रदेश वृक्ष संरक्षण अधिनियम, 1976 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 45 सन् 1976) की धारा-21 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके और सरकारी अधिसूचना संख्या-2758/14-प0भू0वि0-2000-7/93, दिनांक 30-12-2000 और संख्या-2241/ 14-5-2017-07/93, दिनांक 25-10-2017 का अधिक्रमण करके राज्यपाल उक्त अधिनियम के उपबन्धों से निम्नलिखित प्रजातियों को छूट प्रदान करते हैं :-

(1) राज्य के 62 जिलों अर्थात- (1) आजमगढ (2) बलिया (3) बस्ती (4) बदायूं (5) देवरिया (6) गाजीपुर (7) मैनपुरी (8) मऊ (9) मुरादाबाद (10) संतकबीरनगर (11) भदोही (संत रविदास नगर) (12) वाराणसी (13) अलीगढ (14) इलाहाबाद (15) अम्बेडकरनगर (16) बागपत (17) बाराबंकी (18) बरेली (19) फतेहपुर (20) गाजियाबाद (21) गोरखपुर (22) हाथरस (23) जौनपुर (24) कानपुर नगर (25) कानपुर देहात (26) कौशाम्बी (27) कुशीनगर (28) मथुरा (29) हापुड (30) शामली (31) मुजफ्फरनगर (32) सिद्धार्थनगर (33) कन्नौज (34) बांदा (35) एटा (36) फैजाबाद (37) फर्रूखाबाद (38) फिरोजाबाद (39) गौतमबुद्धनगर (40) गोण्डा (41) हरदोई (42) मेरठ (43) प्रतापगढ (44) रायबरेली (45) शाहजहॉपुर (46) सम्भल (47) कासगंज (कांशीरामनगर) (48) बुलंदशहर (49) अमरोहा (50) महोबा (51) औरैया (52) रामपुर (53) सीतापुर (54) सुल्तानपुर (55) अमेठी (56) हमीरपुर (57) झॉसी (58) जालौन (59) उन्नाव (60) आगरा (61) इटावा एवं (62) बिजनौर में वन क्षेत्र के बाहर अवस्थितआम (देशी/तुकमी/कलमी), नीम, साल, महुआ व खैर प्रजातियों से भिन्न समस्त वृक्ष प्रजातियॉ।

(2) राज्य के 13 जिलों अर्थात- (1) बहराइच (2) श्रावस्ती (3) बलरामपुर (4) चन्दौली (5) चित्रकूट (6) लखीमपुरखीरी (7) ललितपुर (8) लखनऊ (9) महाराजगंज (10) मिर्जापुर (11) पीलीभीत (12) सहारनपुर (13) सोनभद्र में वन क्षेत्र के बाहर अवस्थित आम (देशी/तुकमी/कलमी), नीम, साल, महुआ, खैर व सागौन (टीक) प्रजातियों से भिन्न समस्त वृक्ष प्रजातियॉ ।

3- काटे गये प्रत्येक वृक्ष के स्थान पर दस वृक्ष आरोपित किये जाने की वचनबद्धता उस व्यक्ति से प्राप्त करनी होगी जिसे वृक्ष काटने की अनुमति, जहॉ कहीं ऐसी अनुमति अपेक्षित हो, प्रदान की जानी हो।

संजय सिंह

सचिव

http://shasanadesh.up.nic.in

संख्या-2270(1)/14-5-2017-07/93, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

(1) प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं विभागाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
(2) समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
(3) प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 वन निगम, लखनऊ।
(4) समस्त मुख्य वन संरक्षक/वन संरक्षक/प्रभागीय वनाधिकारी/प्रभागीय निदेशक, उ0प्र0।
(5) समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
(6) समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
(7) समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, उत्तर प्रदेश।
(8) समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
(9) कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
(10) ग्राम्य विकास आयुक्त, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
(11) सूचना निदेशक, उ0प्र0 लखनऊ।
(12) गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

ओम प्रकाश
विशेष सचिव।

http//shasanadesh.up.nic.in